न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/217

1. सुगन चन्द आयु 47 वर्ष आत्मज स्व0 श्री घासी लाल जी जाति खाती निवीस
   नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. मोती लाल उम्र 40 वर्ष आत्मज श्री घांसी लाल जाति खाती निवासी नमाना तहस
   एवं जिला बून्दी ।
3. मोहन लाल आयु 35 वर्ष आत्मज स्व0 श्री घांसी लाल जाति खाती निवासी नमा
   तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. नन्दी बाई आयु 60 वर्ष बेवा श्री घांसी लाल जाति खाती निवासी नमाना तहसील
   जिला बून्दी ।
5. हरप्यारी पुत्री घांसी लाल पत्नी बृजराज जाति खाती निवीस नीम का खेडा तहसी
   बिजोलिया जिला भीलवाडा ।
6. संतोष पुत्री घांसी लाल पत्नी भंवर लाल जाति खाती निवासी खेराडिया तहसी
   बिजोलिया जिला भीलवाडा ।

---अपीलान

बनाम

1. भंवर लाल आयु 38 वर्ष आत्मज स्व0 श्री सोभाग बिहारी जाति जांगिड निवासी ग्राम
   नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. प्रमोद आयु 35 वर्ष आत्मज स्व0 श्री सोभाग बिहारी जाति जांगिड निवीस नमाना
   तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. अयोध्या आयु 60 वर्ष विधवा स्व0 श्री सोभाग बिहारी जाति जांगिड निवासी नमाना
   तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. श्रीमती हेम कंवर पुत्री स्व0 श्री सोभाग बिहारी पत्नी श्री रमेशचन्द्र जाति जांगिड
   निवासी बावडी के पास गॉव छत्रपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमती कुसुमलता पुत्री स्व0 श्री सोभाग बिहारी पत्नी श्री रमेशचन्द्र जाति जांगिड
   निवासी अशोक फैक्ट्री के पास बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ एव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम नामाना तहसील एवं जिला बून्दी में खाता संख्या 549 पुराना 531, 532 के खसरा नम्ब 181 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 317 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 591/1513 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 600 रकब 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 601 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकबा 0 बिस्वा, खसरा नम्बर 603 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 605 रकबा 02 बीघा 1 बिस्वा कुल 09 किता की रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सुगनचन्द, मोती लाल, मोहनलाल पिसरान घासीलाल, नन्दू बाई बेवा घासीलाल हरप्यारी, संतोष बाई पुत्रियॉ घासीलाल व शोभाग बिहारी पिसरान नन्दा कौम खाती हिस्से बराबर दर्ज है । उक्त भूमि नन्दा जी के खाते की भूमि थी नन्दा जी का देहान्त हो जाने के बाद उक्त भूमि उनके दोनों पुत्रों घासीलाल व शोभाग बिहारी के संयुक्त खाते में दर्ज की गई । घासीलाल व शोभाग जी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि का आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा किया हुआ था । खसरा नम्बर 604 की सिवायचक पट्टी लगभग 07 बिस्वा स्थित थ जिसे प्रार्थीगण व शोभाग जी की सहमति से प्रार्थीगण के रिहायशी उपयोग में मकानात बनाने के लिए शोभाग जी के नाम से आवंटित करवाया गया था लेकिन कब्जा वादीगण को ही दिया गय था जो आज भी उनके पास है । वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं ह तब तक खसरा नम्बर 604 पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन फरमाया जावे कि ताफैसला वाद प्रार्थीगण को उनके कब्जे की किसी भी भूमि व खसरा नम्ब 604 की भूमि पर से ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे और न ही उक्त भूमि पर कोई निर्मा कार्य करे । उक्त कार्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.05.2013 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना प खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2013 से व्यथित होक प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में केवल मात्र खसरा नम्बर 604 की 07 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र व वा

में अंकित सम्पूर्ण भूमियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारिज किया है कि खसरा नम्बर 607 एवं खसरा नम्बर 1766/553 के सम्बन्ध में भूमि पैतृक होने बाबत् वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि निर्णय में यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में मौके की फोटोग्राफ प्रस्तुत की गई है । वादी का निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा भी अस्वीकार नहीं किया गया है । इस प्रकार प्रथमदृष्टया भूमि प्रार्थी के कब्जे में दर्शित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी वादी के द्वारा एक दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था । पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं । खसरा नम्बर 604 रकबा 07 बिस्वा भूमि परिवार के आधिपत्य की है जिस पर पारिवार के सभी सदस्यों द्वारा अपना निवास एवं कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु निर्माण करने में भूमि का उपयोग किया जा रहा है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1766/553 रकबा 01 बिस्वा वाके ग्राम नमाना जिला बून्दी में स्थित है । आराजी संयुक्त परिवार की है । खसरा नम्बर 604 एवं खसरा नम्बर 1766/553 परिवारजनों की सहमति से शोभाग जी के नाम आवंटित करवायी गई इस पर कब्जा सबका है परन्तु प्रतिवादीगण की नीयत में बदलाव आ गया है । उन्होंने वादीगण को आगे निर्माण करने से मना कर दिया है और इस आराजी पर बंटवारा कराने से इंकार कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है । इन भूमियों को पैतृक सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जबकि प्रार्थी अपीलान्ट ने निर्माण के फोटोग्राफ पेश किये थे । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट प्रार्थीगण के पक्ष में तय पाया गया है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1965 पेज 227, *आरआरडी 1978 पेज 217, आरआरडी 1963 पेज 251 उद्धरत की ।*

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के तन्हा खाते की है पैतृक सम्पत्ति नहीं है, रेस्पोडेन्ट की आवंटनशुदा आराजी है जिसका विभाजन कराने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी के

अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 07 बिस्वा पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज नहीं है और न ही अपीलान्ट वादी ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पैतृक प्रमाणित होती हो । रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनके तन्हा खाते की है और अपीलान्ट ने भी अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 604 रकबा 07 बिस्वा आराजी शोभाग जी के नाम आवंटित करवायी गई थी । ऐसी स्थिति में जो आराजी रेस्पोडेन्ट शोभाग जी की तन्हा खाते में दर्ज है उसको बिना किसी प्रमाण के पैतृक अथवा संयुक्त खाते की सम्पत्ति नहीं माना जा सकता । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा